

an>

Title: Papers laid on the Table of the House by Ministers/members.

HON. SPEAKER: Now, Papers to be Laid.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI S.S. AHLUWALIA): Madam, on behalf of Shri Suresh Prabhu, I beg to lay on the Table a copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Railways for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 6246/16/17]

*m02

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI S.S. AHLUWALIA): Madam, on behalf of Shri Piyush Goyal, I beg to lay on the Table a copy of the Report (Hindi and English versions) of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Commercial) (Report No.35 of 2016) on Fuel Management of Coal Based Power Stations of NTPC Limited-Performance Audit, Ministry of Power, under Article 151(1) of the Constitution.

[Placed in Library, See No. LT 6247/16/17]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : महोदया, मैं श्री संतोष कुमार गंगवार जी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

)सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 और वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 23(अ) जो 12 जनवरी, 2017 के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 31 अक्टूबर, 2016 की अधिसूचना संख्या 131/2016-सी.शु.,(एन.टी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रती (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 6248/16/17]

)सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रती (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

- (एक) सा.का.नि. 1173(अ) जो 27 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सा.का.नि. 1202(अ) जो 31 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सा.का.नि. 1203(अ) जो 31 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 जून, 2011 की अधिसूचना संख्या 46/2011-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) सा.का.नि. 1204(अ) जो 31 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 29 जुलाई, 2011 की अधिसूचना संख्या 69/2011-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) सा.का.नि. 1205(अ) जो 31 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 जुलाई, 2011 की अधिसूचना संख्या 53/2011-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) सा.का.नि. 1206(अ) जो 31 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 दिसम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या 152/2009-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सात) का.आ. 3450(अ) जो 15 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) अधिसूचना सं. 138/2016-सी.शु.(एन.टी.) जो 17 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (नौ) अधिसूचना सं. 143/2016-सी.शु.(एन.टी.) जो 29 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 17 नवम्बर, 2016 की अधिसूचना संख्या 138/2016-सी.शु.(एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दस) का.आ. 3593(अ) जो 30 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या का.आ.748(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (ग्यारह) अधिसूचना सं. 145/2016-सी.शु.(एन.टी.) जो 1 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बारह) अधिसूचना सं. 147/2016-सी.शु.(एन.टी.) जो 15 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तेरह) का.आ. 4054(अ) जो 15 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या का.आ.748(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चौदह) का.आ. 4226(अ) जो 30 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या का.आ.748(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पन्द्रह) अधिसूचना सं. 1/2017-सी.शु.(एन.टी.) जो 5 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सोलह) का.आ. 122(अ) जो 13 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या का.आ.748(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सत्रह) अधिसूचना सं. 5/2017-सी.शु.(एन.टी.) जो 19 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 6249/16/17]

(3) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रती (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

- (एक) आयकर (28वां संशोधन) नियम, 2016, जो 17 अक्टूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 982(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (दो) काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्तियां तथा कर का अधिशेषण) (संशोधन) नियम, 2016, जो 28 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1180(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (तीन) आयकर (22वां संशोधन) नियम, 2016, जो 16 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2979(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (चार) आयकर (33वां संशोधन) नियम, 2016, जो 28 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 3573(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

- (पांच) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए कराधान और निवेश व्यवस्था नियम, 2016, जो 16 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 4059(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (छह) का.आ. 4060(अ) जो 16 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए कराधान और निवेश व्यवस्था के अंतर्गत कथन दायर करने के प्रयोजनार्थ प्रधाना्युक्त या आयुक्त या आयकर आयुक्त, केन्द्रीयकृत संसाधन केन्द्र, बंगलुरु, यथास्थिति, को अधिसूचित किए जाने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (सात) आयकर (35वां संशोधन) नियम, 2016, जो 21 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 4110(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (आठ) आयकर (36वां संशोधन) नियम, 2016, जो 27 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 4168(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 6250/16/17]

(4) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

- (एक) सेवाओं के उपबंध का स्थान (दूसरा संशोधन) नियम, 2016 जो 30 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1102(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (दो) सेवा कर (पांचवां संशोधन) नियम, 2016 जो 19 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1155(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (तीन) सा.का.नि. 24(अ) जो 12 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 जून, 2012 की अधिसूचना संख्या 25/2012-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (चार) सेवा कर (संशोधन) नियम, 2017 जो 12 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 25(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (पांच) सा.का.नि. 26(अ) जो 12 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 जून, 2012 की अधिसूचना संख्या 30/2012-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (छह) सा.का.नि. 27(अ) जो 12 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 जून, 2012 की अधिसूचना संख्या 26/2012-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 6251/16/17]

(5) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

- (एक) सा.का.नि. 10(अ) जो 5 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2011 की अधिसूचना संख्या 2/2011-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सा.का.नि. 22(अ) जो 11 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित

हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 6252/16/17]

(6) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) -

- (एक) सा.का.नि. 49(अ) जो 19 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय में चीन जनवादी गणराज्य, चाईनीज ताईपे, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाइलैंड और कोरिया जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'नार्डलोन फिलामेंट यार्न' के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क के उग्रहण को एक और वर्ष की अवधि तक अर्थात् 12 जनवरी, 2018, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सा.का.नि. 50(अ) जो 19 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जिनका प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा संवाहित की जा रही सनसेट समीक्षा जांच के परिणाम आने तक चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित सैकरीन के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क के उग्रहण को एक और वर्ष की अवधि तक अर्थात् 12 जनवरी, 2018, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सा.का.नि. 1090(अ) जो 25 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा संवाहित प्रतिपाटन जांच के अंतिम निष्कर्ष के अनुसरण में ऑस्ट्रेलिया और चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित लो एश मैटलर्जिकल कोक के आयात पर 5 वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) सा.का.नि. 1101(अ) जो 29 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पदाभिहित प्राधिकारी, प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय के अंतिम निष्कर्ष के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित "टैलर्स के लिए एक्सल" के आयात पर 5 वर्ष की अवधि के लिए विहित रीति से निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) सा.का.नि. 1163(अ) जो 21 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 3 जुलाई, 2012 की अधिसूचना संख्या 34/2012-सी.शु. (एडीडी) को रद्द करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) सा.का.नि. 1164(अ) जो 21 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 18 अप्रैल, 2013 की अधिसूचना संख्या 08/2013-सी.शु. (एडीडी) को रद्द करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सात) सा.का.नि. 11(अ) जो 05 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय बंगलादेश या नेपाल से जूट उत्पादों अर्थात् जूट यार्न/ट्वाइन (मल्टीपल फोल्डेड/केबल्ड एंड सिंगल), हेसेन फैब्रिक तथा जूट सैकिंग बैगों के आयात पर 5 वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) सा.का.नि. 21(अ) जो 11 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पदाभिहित प्राधिकारी, प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय के प्रारंभिक निष्कर्ष के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य और यूरोपीय संघ से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित मिश्र धातु अथवा गैर-मिश्र धातु के विनिर्दिष्ट क्लर कोटिड/प्रीपैटेड फ्लैट प्रोडक्ट्स के आयात पर 6 महीने की अवधि के लिए विहित रीति से अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 6253/16/17]

(7) 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन:-

(एक) मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, पटना

[Placed in Library, See No. LT 6254/16/17]

(दो) छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, रायपुर

[Placed in Library, See No. LT 6255/16/17]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फगन सिंह कुलस्ते): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) (एक) पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 2015-

2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा
लेखे।

(दो) पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 2015-

2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी
संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6256/16/17]

(3) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) खाद्य और मानक (स्वास्थ्य सम्पूरक, न्यूट्रिशनल, विशेष आहार उपयोग के लिए खाद्य, विशेष चिकित्सा प्रयोजन के लिए खाद्य, कार्यात्मक खाद्य और नवीन खाद्य) विनियम, 2016, जो 26 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1-4/न्यूट्रिशनल/एफएसएसआई-2013 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनलों के लिए कारबार का संव्यवहार और प्रक्रिया) विनियम, 2016 जो 6 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं 0 एफ 0 1-63/एफएसएसआई/टीआर 0 बिजनेस एससी एंड एसपी/रंग/2015 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योग्य) 12वां संशोधन विनियम, 2016, जो 16 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ 0 सं 0 1-11 (1)/मानक/एसपी (जल और पेय) एफएसएसआई-2015 में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 6257/16/17]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) चार्टर्ड एकाउंटेड अधिनियम, 1949 की धारा 30 ख, लागत और संकर्म लेखाकार अधिनियम, 1959 की धारा 22क और कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 22क के अंतर्गत अधिसूचना सं 0 सा 0 का 0 नि 0 1130 (अ), जो 13 दिसंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 3 नवम्बर, 2015 की अधिसूचना सं 0 सा 0 का 0 नि 0 835 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6258/16/17]

(2) वर्ष 2017-2018 के लिए संसद, राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के सचिवालयों की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6259/16/17]